संख्या–जी–1–271/ दस–2012–205–2002

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त सचिव एवं प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ दिनॉक 12 नवम्बर, 2012

विषयः– राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत द्विभाषी टंककों तथा द्विभाषी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना।

महोदय,

वेतन समिति (1997–99) के नवें प्रतिवेदन पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या–जी–1–337/दस–2002–205/2002, दिनॉक 03 सितम्बर, 2002 द्वारा सचिवालय तथा अन्य राजकीय कार्यालयों में कार्यरत द्विभाषी टंककों को रू0–50 प्रतिमाह तथा तथा द्विभाषी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों को रू0–150 प्रतिमाह की दर से द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता उक्त शासनादेश दिनॉक 03 सितम्बर, 2002 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराया गया था।

2– वेतन समिति 2008 के सोलहवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सचिवालय तथा अन्य राजकीय कार्यालयों में कार्यरत द्विभाषी टंककों को रू0–100 प्रतिमाह की दर से तथा द्विभाषी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों को रू0–300 प्रतिमाह की दर से द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य कराने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में शासनादेश संख्या–जी–1–337/दस–2002–205/2002, दिनॉक 03 सितम्बर, 2002 एवं उसमें उल्लिखित शासनादेश संख्या–जी–1–904/दस–86–211/81, दिनॉक 30 जुलाई, 1986 की शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4– उपर्युक्त संशोधित दरें दिनॉक 01 नवम्बर, 2012 से प्रभावी होंगी।

भवदीय,

आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव।

संख्या–जी–1–271(1)/दस–2012–205–2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार–1, 2 तथा 3 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश।
3– निजी सचिव मा0 समस्त मंत्रीगण।
4– श्री राज्यपाल के सचिव।
5– सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6– सचिव, विधान परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 (तीन–तीन प्रतियों में)
9– सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–2 (50 प्रतियों)।
10– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी0के0 सिंह)
विशेष सचिव ।